न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 67/2021
GCMS NO. : 2021/163

–: वादी :–

1. सुनिल पुत्र मंगलाराम
जाति– माली, निवासी– ग्राम जैतारण
तहसील– जैतारण जिला– पाली
राज०।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. अमरचंद पुत्र पाबूराम
2. कमलकिशोर पुत्र पाबूराम
3. चम्पालाल पुत्र रामा
4. कालूराम पुत्र पाबूराम
5. छोटूराम पुत्र रामा
6. तेजाराम पुत्र लाबूराम
7. नाथूराम पुत्र पाबूराम
8. पुखराज पुत्र केवल
9. पेमा पुत्र रामा
10. प्रकाश पुत्र शंकरलाल
11. पिस्ता पुत्री रामा
12. मिठालाल पुत्र पाबूराम
13. रेखा पुत्री मंगलाराम
14. राजूराम पुत्र पाबूराम
15. लाबू पुत्र केवल
16. विद्यादेवी पत्नी पाबूराम
17. शंकर पुत्र केवल
18. श्यामादेवी पत्नी मंगलाराम
19. श्रवण पुत्र मंगलाराम
20. संजयकुमार पुत्र मंगलाराम
जातियान– माली, निवासीगण– जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज०।
21. विनोद शर्मा पुत्र पुखराज जाति– ब्राह्मण निवासी जैतारण, तहसील– जैतारण जिला पाली राज०
22. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी, तहसील– जैतारण जिला– पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1956.

तारीख [illegible]01/[illegible]2021

उपस्थितः– 1. श्री चंदनसिंह गोयल, अधिवक्ता वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:13 IST
Reason: SelfAttested

–:: निर्णय ::– दिनांक [illegible]/12/2021

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा ए[illegible]कर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1956. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादी की कब्जे काश्त की एवं अन्य सहखातेदारान् की कृषि भूमि सरहद मौजा जैतारण

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

पटवार हल्का जैतारण प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे खसरा नम्बर 607 रकबा 50.1200 बीघा किस्म चाही दोयम लगान रूपये 62.9400 की कृषि भूमि आई हुई है जिसमे वादी अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज कास्तकार एवं खातेदार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। नकल जमाबन्दीया संवत 2073 से 2076 साथ पेश है। उक्त कृषि भूमि वादी के पिता मंगलाराम पुत्र रामा के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरण संख्या 2136 दिनांक 02/03/2006 मे वादी के लाड प्यार के एवं घर मे बोलचाल की भाषा मे लिये जाने वाले वादी के नाम भूराराम पुत्र मंगलाराम से नामान्तरण दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम एवं दस्तावेजी नाम सुनिले पुत्र मंगलाराम है जो वादी के आधार रुजेचा कार्ड, बैंक डायरी, पैन कार्ड, गैस डायरी आदि मे भी वादी का नाम रुणेचा सुनिल पुत्र मंगलाराम दर्ज है जो वादपत्र के साथ संलग्न है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। इस प्रकार वर्णित नामान्तरण के साथ दर्ज राजस्व रेकर्ड मानवीय त्रुटि व रोंग एन्ट्री है। जो आज दिन तक राजस्व रेकर्ड मे चल रही है तथा इस रोंग एन्ट्री की जानकारी दिनांक 15/06/2021 को होने पर पटवारी हल्का व प्रतिवादी संख्या 1 से सम्पर्क करने पर पता चला तो पटवारी हल्का ने उक्त रोंग एन्ट्री को न्यायालय से दुरस्त करवाने का कथन किया जिसके सम्बन्ध मे वादी की पैतृक पुश्तैनी सम्पति मे उक्त रोंग एन्ट्री एवं रेकर्ड दुरुस्त करवाने के अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत घोषणा का विरुद्ध प्रतिवादी के पेश है। नामान्तरणकरण की प्रति साथ पेश है। वादी का नाम जो राजस्व रेकर्ड मे गलत इन्द्राज किया गया है जिसको हटाने एवं राजस्व रेकर्ड मे वादी अपना सही व रनबेचा वास्तविक व दस्तावेजी नाम सुनिल पुत्र मंगलाराम से दर्ज करने एवं इन्द्राज करवाने के अधिकारी वादी होने से उक्त वादपत्र रेकर्ड दुरुस्ती बाबत् श्रीमान् के समक्ष पेश है। वादी को आये दिन उक्त रेकर्ड को लेकर अनेक प्रकार की परेसानियो का सामना करना पड़ रहा है तथा सरकारी एवं गैरकसरकारी योजनाओ से फायदा नहीं उठा पा रहे है न ही ऋण आदि व किसानकार्ड बन रहा है जिस पर सहखातेदारो से सम्पर्क किया तो उन्होंने मौके पर कब्जे काश्त एवं अपने नाम की रेकर्ड दुरुस्त करवाने का कथन किया इसलिए सहखातेदारों के विरुद्ध किसी प्रकार की इस्तदुआ नही चाही गई है इसलिए उनको प्रतिवादी पक्षकार नही बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 राज्य सरकार का प्रतिनिधि है एवं तहसीलदार जैतारण लेण्ड होल्डर है इनके विरुद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जा[illegible] वाद पत्र अति आवश्यक प्रकृति का है तथा नोटिस देने में समय लगेगा [illegible] तक [illegible] करने का मकसद विफल हो जायेगा इसलिए बिना नोटिस [illegible] करने की अनुमति बाबत् धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थ[illegible] पेश है। बिनाय वाद दिनांक 15/06/2021 को पटवारी हल्का से व प्रतिवादी [illegible]ख्या 1 सम्पर्क करने एवं उसके द्वारा न्यायालय से आदेश लाने बाबत् कथन करने एवं न्यायालय आदेश से ही रेकर्ड दुरुस्त करने एवं उक्त रोंग एन्ट्री हटाने का कथन करने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मुकाम जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकाकर एवं श्रवणाधिकार का होने से श्रीमान् के समक्ष पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहनें से इनके विरूद्ध एकपक्षीय की गई।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :–

1. वादपत्र के अनुसार वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा धारानगरी पटवार हल्का आसरलाई भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निमाज तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे खसरा नम्बर 607 रकबा 50.1200 बीघा किस्म चाही दोयम की कृषि भूमि में वादी बतौर खातेदार दर्ज है लेकिन भू अभिलेख में वादी का त्रुटिपूर्ण नाम भूराराम पुत्र मंगलाराम सहवन से दर्ज हो गया, जो वर्तमान में भी जारी है, वादी सही एवं वास्तविक नाम सुनिल रूणेचा पुत्र मंगलाराम है। वादी के पिता मंगलाराम की मृत्यु उपरांत तत्कालिन राजस्व कार्मिकों द्वारा फौतदेगी नामान्तरण स्वीकृत करते समय वादी का घरेलू बोलचाल का नाम भूराराम पुत्र मंगलाराम दर्ज कर दिया। जिसे वादी शुद्ध करवानें का अधिकारी है।

3. प्रतिवादी संख्या 19 जो कि वादी का भाई है, द्वारा वादी की साक्ष्य में साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत कर वादपत्र के कथनों का समर्थन करते हुये कथन किया है कि वादी सुनिल रूणेचा पुत्र मंगलाराम रिश्ते में सगा छोटा भाई है तथा वादग्रस्त आराजी उसकी एवं उसके भाईयों की सहखातेदारी भूमि है तथा दावे में वर्णित पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि है जिसमें माफिक हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा हमारें पिताजीर मंगलाराम जी के फौत के पश्चात नामान्तरण संख्या 2136 दिनांक 22.03.2006 भरा गया, उसमें वादी सुनिल रूणेचा का नाम घरेलू बोलचाल का नाम भूराम पुत्र मंगलाराम दर्ज कर दिया जबकि सभी अर्द्धसरकारी दस्तावेजातों में वादी का सही व वास्तविक नाम सुनिल रूणेचा पुत्र मंगलाराम है, जो सही व सत्य है। इस नाम से वादी के पक्ष में डिक्री व नाम शुद्धिकरण कर दिया जावें तो प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई आपत्ति ऐताराज नहीं है।

3. प्रदर्श–1 ग्राम जैतारण की नामान्तरण पंजिका जिसमें श्यामादेवी पत्नी मंगलाराम, श्रवण, भूराराम, संजयकुमार पि0 मंगलाराम रेखा पुत्री मंगलाराम, अंकित है। वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दीयां प्रदर्श–2 व प्रदर्श–3 [illegible] श्रवण, भूराराम, संजयकुमार पि0 मंगलाराम रेखा पुत्री मंगलाराम अं[illegible] है [illegible]दर्श–4ए वादी का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, प्रदर्श–5ए [illegible] का ड्राईविंग लाईसन्स, प्रदर्श–6ए वादी का आधार कार्ड, प्रदर्श–7ए वादी [illegible] रूपयें के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित शपथपत्र, प्रदर्श–8ए वादी का परिवार राशन [illegible], प्रदर्श–9ए वादी का पैनकार्ड, प्रदर्श–10ए वादी के परिवार का जनआधार कार्ड, प्रदर्श–12ए वादी का विद्यालय स्थान्तरण प्रमाण पत्र इत्यादि में वादी का नाम सुनिल रूणेचा पुत्र मंगलाराम जाति माली अंकित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

4. वादी सुनिल रूणेचा पुत्र मंगलाराम ने स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र PW-1 प्रस्तुत किया। साक्ष्य वादी में वादी द्वारा शपथपत्र पर वादपत्र में अंकित कथनों, तथ्यों एवं वांछित अनुतोष का समर्थन करते हुये यह बयान किया कि वादी का वादग्रस्त आराजी पर निर्बाध कब्जा काश्त है, तथा वादी के पिता मंगलाराम के फौत होने पर फौतेगदी नामान्तरण में वादी के लाड प्यार के एवं घर में बोलचाल की भाषा में लिये जाने वाले वादी का नाम भूराराम पुत्र मंगलाराम दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम सुनिल रूणेचा पुत्र मंगलाराम है। भू अभिलेख में दर्ज भूराराम पुत्र मंगलाराम एक त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि है जिसके स्थान पर सुनिल रूणेचा पुत्र मंगलाराम किया जावे।

4. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह स्पष्ट अभिमत है कि उपलब्ध दस्तावेजात्, साक्ष्य वादी से यह स्पष्ट होता हैं कि वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज भूराराम पुत्र मंगलाराम एवं सुनिल रूणेचा पुत्र मंगलाराम कौम माली निवासी जैतारण वस्तुतः एक ही व्यक्ति है तथा खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम भूराराम पुत्र मंगलाराम न होकर सुनिल रूणेचा पुत्र मंगलाराम है। प्रत्येक खातेदार का यह प्राथमिक अधिकार होता है कि उससे सम्बन्धित भू-अभिलेख की समस्त प्रविष्टियां त्रुटि रहित एवं शुद्ध हो। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे खसरा नम्बर 607 रकबा 50.1200 बीघा किस्म चाही दोयम में बतौर खातेदार दर्ज वादी के त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि ***"भूराराम पुत्र मंगलाराम"*** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम ***"सुनिल रूणेचा पुत्र मंगलाराम"*** दर्ज करते हुये इनके हिस्से तक सुनिल रूणेचा पुत्र मंगलाराम को खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bish
Date: 2022.01.24 18:29:13 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनॉक 23/12/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
(जिला-पाली

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. सुनिल पुत्र मंगलाराम
जाति– माली, निवासी– ग्राम जैतारण
तहसील– जैतारण जिला– पाली
राज0।

1. अमरचंद पुत्र पाबूराम
2. कमलकिशोर पुत्र पाबूराम
3. चम्पालाल पुत्र रामा
4. कालूराम पुत्र पाबूराम
5. छोटूराम पुत्र रामा
6. तेजाराम पुत्र लाबूराम
7. नाथूराम पुत्र पाबूराम
8. पुखराज पुत्र केवल
9. पेमा पुत्र रामा
10. प्रकाश पुत्र शंकरलाल
11. पिस्ता पुत्री रामा
12. मिठालाल पुत्र पाबूराम
13. रेखा पुत्री मंगलाराम
14. राजूराम पुत्र पाबूराम
15. लाबू पुत्र केवल
16. विद्यादेवी पत्नी पाबूराम
17. शंकर पुत्र केवल
18. श्यामादेवी पत्नी मंगलाराम
19. श्रवण पुत्र मंगलाराम
20. संजयकुमार पुत्र मंगलाराम
जातियान– माली, निवासीगण– जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।
21. विनोद शर्मा पुत्र पुखराज जाति– ब्राह्मण निवासी जैतारण, तहसील– जैतारण जिला पाली राज0
22. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी, तहसील– जैतारण जिला– पाली (राज)

मु0न0 :रा0वा0 स0: 67/2021

राजस्व **वाद** बाबत् **घोषणा** एवं दुरूस्ती अन्तर्गत **धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**, 1955 एवं **धारा 136** भू **राजस्व अधिनियम 1956**

यह मुकदमा आज वास्ते ई[illegible] ...... व हाजरी श्री चन्दनसिंह गोयल, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब [illegible] मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपयुक्त विवेचन [illegible] निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी [illegible]बित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे खसरा नम्बर 607 रकबा 50.1200 बीघा किस्म चाही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

दोयम में बतौर खातेदार दर्ज वादी के त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि ***"भूराराम पुत्र मंगलाराम"*** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम ***"सुनिल रूणेचा पुत्र मंगलाराम"*** दर्ज करते हुये इनके हिस्से तक सुनिल रूणेचा पुत्र मंगलाराम को खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-. .....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **23/12/2021** को जारी किया गया।

माफिक

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01	-00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	-00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	05	-00	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	05	-00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–	12	-00	मिजानः–	Nil	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:13 IST
Reason: SelfAttested